26 मार्च को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) के स्वास्थ्य विशेषज्ञ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बैठक करेंगे। इसमें विशेषज्ञ कोरोना वायरस से मुकाबले में अभी तक के अपने अनुभवों को साझा करेंगे।

राज्यसभा के चुनाव टले, दिग्गजों की सांसें अटकीं

बड़ा कदम ▶ चुनाव आयोग ने लिया फैसला, कल 18 सीटों पर होना था चुनाव

37 सीटों पर पहले ही निर्विरोध हो चुका है निर्वाचन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना वायरस के चलते देश भर में बनी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए राज्यसभा के 26 मार्च को होने वाले चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। चुनाव की नई तारीखों का एलान बाद में किया जाएगा। इसके तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड सहित सात राज्यों की 18 सीटों पर चुनाव होने थे।

राज्यसभा का यह द्विवार्षिक चुनाव वैसे तो कुल 55 सीटों पर होना था, लेकिन 37 सीटों पर एक ही प्रत्याशी के मैदान में खड़े होने से उन सभी का निर्विरोध निर्वाचन घोषित कर दिया गया। फिलहाल जिन 18 सीटों पर चुनाव होने थे, उनमें भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल, शक्ति सिंह गोहिल जैसे बड़े चेहरे भी मैदान में है, जिन्हें कुछ समय के लिए अब और इंतजार करना होगा। राज्यसभा चुनाव स्थगित करने के चुनाव आयोग के फैसले के बाद

संसद। फाइल

राजनीतिक दलों की सांसें भी अटक गई हैं। खासकर उन राज्यों में जहां इन चुनावों का मुकाबला काफी कड़ा और दिलचस्प है। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं।

कांग्रेस ने की फैसले की आलोचना : चुनाव स्थगित होने की खबर आते ही कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फट पड़े। उन्होंने ट्वीट कर चुनाव आयोग के इस फैसले पर नाखुशी जताई और कहा कि इससे भाजपा को गुजरात और राजस्थान में हार्स ट्रेडिंग के लिए और समय मिलेगा। यह लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चुनाव स्थगित करने को लेकर राजनीतिक दलों से कोई चर्चा भी नहीं की गई। इस बीच चुनाव आयोग ने साफ किया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा 11 मार्च को कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किए जाने सहित पिछले दो दिनों में सरकार द्वारा पूरी तरह से किए गए लॉकडाउन को देखते हुए यह फैसला लेना पड़ा है। इसके तहत अब घरेलू हवाई सेवाओं का संचालन भी रोक दिया गया है। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, वह नए सिरे से चुनाव की तारीखों का एलान करेंगे। आयोग ने कहा है कि चुनाव भले ही स्थगित किए गए हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। आगे की चुनावी प्रक्रिया के लिए यह सूची वैध मानी जाएगी।

राज्यसभा का यह चुनाव फिलहाल जिन सात राज्यों की 18 सीटों के चुनाव होने थे उनमें मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और मेघालय शामिल है। यह चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो गया था, क्योंकि इन राज्यों में राजनीतिक दलों ने जीत के अनुमान से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में जोड़-तोड़ की संभावना बनी हुई है।

बजट सत्र में संसद ने 12 विधेयक पारित किए

नई दिल्ली, एएनआइ : कोरोना वायरस के कारण तय अवधि से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई संसद ने अपने इस बजट सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए। सत्र के दौरान दोनों सदनों में 19 विधेयक पेश किए गए। लोकसभा में 18 और राज्यसभा में एक विधेयक लाया गया।

वित्त विधेयक पारित करने समेत बजटीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोमवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कोरोना वायरस के कारण सत्र के दूसरे हिस्से के लिए निर्धारित समय में कटौती की गई है।

संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि बजट सत्र के लिए लोकसभा में करीब 90 फीसद और राज्यसभा में करीब 74 फीसद काम हुआ। बजट सत्र के पहले हिस्से में लोकसभा में करीब 94 फीसद और राज्यसभा में करीब 96 फीसद कामकाज हुआ था। दूसरे हिस्से में लोकसभा में करीब 88 फीसद और राज्यसभा में 62 फीसद कामकाज हुआ। बजट सत्र 21 जनवरी को शुरू हुआ था और पहले हिस्से का समापन 11 फरवरी को हुआ। दूसरा हिस्सा दो मार्च से शुरू हुआ था। एक फरवरी को बजट पेश किया गया था। जोशी ने यह भी कहा कि देश में कोरोना का जबर्दस्त संकट है। उन्होंने संकट के इस वक्त में सभी देशवासियों से एकजुटता की अपील भी की।

सोनिया ने मजदूरों के लिए आपात सहायता का किया अनुरोध

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के कारण रोजी-रोजगार गंवाने वाले कंस्ट्रक्शन मजदूरों-कामगारों को सरकार की ओर से तत्काल आपात सहायता मुहैया कराए जाने की मांग की है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में सोनिया ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स एक्ट के तहत कल्याण कोष में जुटाई गई रकम का उपयोग करने का सुझाव दिया है।

कोरोना वायरस के चलते देश भर में शहरों की थमी रफ्तार की वजह से करीब साढ़े चार करोड़ से अधिक कंस्ट्रक्शन मजदूरों की रोजी-रोटी के अचानक मुश्किल में आने का हवाला देते हुए सोनिया ने कहा है कि मार्च 2019 तक राज्यों में इससे जुड़े कल्याण बोर्डों के पास 49,688 करोड़ रुपये का फंड था। करोड़ों लोगों की जीविका अचानक छीन जाने से पैदा हुए हालात को असाधारण बताते हुए उन्होंने पीएम से कहा है कि इसमें से बहुत से लोग अपने घरों से दूर बाहर फंसे हैं जिन्हें मदद दी जानी चाहिए और इसके लिए इस फंड का सहारा लिया जाना चाहिए।

सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इसके लिए अलग से एक पत्र लिखते हुए कहा है कि कोरोना के कहर ने असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों को सबसे मुश्किल में

राहत की दरकार

- कंस्ट्रक्शन वर्क्स से जुड़े कल्याण बोर्डों में जमा राशि का उपयोग करने की उठाई मांग
- मजदूरों की मदद के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी लिखा पत्र

सोनिया गांधी। फाइल

डाल दिया है। भारत सबसे गंभीर वैश्विक महामारी के संकट में है और इसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां बिगड़ गई हैं। इस हालात में समाज के सबसे कमजोर और ज्यादा कठिन हालत का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए असाधारण कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कंस्ट्रक्शन मजदूरों से जुड़े राज्य कल्याण बोर्ड की राशि का उपयोग मजदूरों को सहायता देने में करने का सुझाव दिया है। कई देशों ने इस मुश्किल घड़ी में रोजी-रोटी के संकट का सामना कर रहे अपने कामगारों-नागरिकों के लिए राहत उपायों की घोषणा की है और हमारे लिए भी इस तरह के कदम उठाना जरूरी है।

आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जा सकता है कोरोना का इलाज

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना वायरस संक्रमण के परीक्षण और इलाज का खर्च जल्द ही सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जा सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (पीएमजेएवाई) का संचालन करने वाले 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण' ने कोरोना के परीक्षण और इलाज के खर्च को इसके दायरे में लाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की गवर्निंग बॉडी से इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करने की अनुमति मांगी गई है।

उन्होंने बताया कि इसकी मंजूरी और निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की सरकार से अनुमति मिलने के बाद इसके परीक्षण और इलाज का खर्च आयुष्मान भारत में शामिल कर दिया जाएगा। इसके लागू होने के साथ ही कोरोना के संक्रमण का निजी प्रयोगशालाओं में परीक्षण और बीमा योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराया जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य देश में 10.74 करोड़ निर्धन परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाना है। इसके तहत प्रत्येक बीमित परिवार को इस योजना में शामिल बीमारियों के मुफ्त इलाज के लिए प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा प्राप्त है।

वैकल्पिक गर्भगृह में आज स्थापित होंगे रामलला

- वैकल्पिक गर्भगृह में तड़के होगी रामलला की स्थापना
- सोमवार से चल रहा अनुष्ठान, चांदी के सिंहासन पर विराजेंगे रामलला

अयोध्या में मंगलवार को गर्भगृह में रामलला का पूजन करते डॉ .अनिल मिश्र एवं प्रधान अर्चक आचार्य सत्येंद्रदास (बाएं)। जागरण

रघुवरशरण, अयोध्या

बुधवार को रामलला को टेंट के अस्थाई मंदिर से स्थानांतरित कर साज-सुविधा युक्त वैकल्पिक गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सोमवार से अनुष्ठान आरंभ हो चुका है। 10 वैदिक आचार्यों का समूह जहां वेद मंत्रों के साथ मौजूदा गर्भगृह में विराजे रामलला से वैकल्पिक गर्भगृह में चलने की प्रार्थना कर रहा है, तो पांच आचार्य वैकल्पिक गर्भगृह में भूमि शुद्धि के अनुष्ठान को अंतिम रूप देने में लगे हैं।

बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त में अनुष्ठान की पूर्णाहुति के साथ रामलला वैकल्पिक गर्भगृह में विराजमान होंगे। हालांकि रामलला के दिव्य-दैवी वैभव और उनसे जुड़ी अप्रतिम आस्था से न्याय तभी संभव होगा, जब भव्य मंदिर निर्माण के साथ प्रभु श्रीराम इस मंदिर के नियोजित-संयोजित भव्य और स्थाई गर्भगृह में विराजमान होंगे। विशेषज्ञों की मानें तो यह सब होने में ढाई से तीन वर्ष का समय लग सकता है।

432 वर्ग फीट के वैकल्पिक गर्भगृह में रामलला की गरिमा व सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध और दर्शनार्थियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। सोमवार को ही श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य एवं अयोध्या राजपरिवार के मुखिया बिमलेंद्र मोहन मिश्र ने साढ़े नौ किलोग्राम चांदी का भव्य सिंहासन भेंट किया। रामलला वैकल्पिक गर्भगृह में इसी सिंहासन पर विराजमान कराए जाएंगे। रामलला बुधवार तड़के दो बजे जगाए जाएंगे। इसके साथ ही उनका पूजन-अर्चन शुरू होगा। पूजन-अर्चन के बाद एक ओर मार्ग का शुद्धिकरण होगा, दूसरी ओर ब्रह्म मुहूर्त में रामलला को मूल गर्भगृह से वैकल्पिक गर्भगृह में ले जाया जाएगा। वैकल्पिक गर्भगृह में भी रामलला की पूजा-अर्चना होगी और सुबह सात बजे आरती होगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

लाइव प्रसारण की तैयारी

वैकल्पिक गर्भगृह में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा उल्लासपूर्ण समारोह के रूप में प्रस्तावित थी लेकिन, कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका के चलते यह आयोजन वैदिक कर्मकांड तक सीमित रखा गया है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्राण-प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण की व्यवस्था जरूर कर रखी है, ताकि मौके पर पहुंचने से वंचित श्रद्धालु टीवी पर इस अहम अवसर को देख सकें।

नौसेना ने हिंद महासागर में देखा चीन व पाक नौसेना का मूवमेंट

नई दिल्ली, एएनआइ : एक ओर जहां देश के भीतर कोरोना वायरस से जंग जारी है, वहीं भारतीय नौसेना समुद्र में कड़ी निगरानी रखे हुए है। नौसेना ने हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की नौसेना का अलग-अलग मूवमेंट ट्रैक किया है और उस पर लगातार नजर रखी है।

नौसेना सूत्रों ने बताया कि फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी के नजदीक दस्यु विरोधी मिशन 'ऑपरेशन संकल्प' में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत लाल सागर से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक निगरानी रख रहे हैं। इस दौरान नौसेना के युद्धपोतों ने पाक नौसेना में नए शामिल हुए युद्धपोत पीएनएस यर्मूक के मूवमेंट को ट्रैक किया जो कराची जा रहा था।

हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने चीनी नौसेना के वाई901 श्रेणी के युद्धपोत को भी ट्रैक किया जो एक टैंकर है। इस चीनी युद्धपोत ने मलक्का स्ट्रेट के जरिये क्षेत्र में प्रवेश किया था। बता दें कि भारतीय नौसेना देश से लगते समुद्र में अपने युद्धपोतों और पी-8आइ जैसे पनडुब्बीरोधी युद्धक निगरानी विमानों के जरिये चीनी नौसेना के मूवमेंट पर नजर रखती है।

फारूक के बाद अब उमर अब्दुल्ला भी रिहा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को साढ़े सात माह बाद मंगलवार को रिहा कर दिया। उन्हें जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू किए जाने के मद्देनजर एहतियातन हिरासत में लिया गया था। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और पीएसए (जन सुरक्षा अधिनियम) के तहत बंदी बनाए गए अन्य नेताओं की जल्द रिहाई की उम्मीद भी बढ़ गई है। उमर के पिता व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला को 13 मार्च को रिहा किया गया था।

पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू किए जाने की घोषणा के मद्देनजर उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया गया था। उमर अब्दुल्ला ने 10 मार्च को कैद में ही अपना 50वां जन्मदिन मनाया है। उन्हें उनके घर से करीब दो किलोमीटर दूर हरि निवास में कैद रखा गया था।

गौरतलब है कि उनके पिता नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला को भी हिरासत में लिया गया था, जिन पर बाद में पीएसए लगाया गया था। उमर को रिहा किए जाने की

- पांच अगस्त को लिया गया था हिरासत में, फरवरी में लगा था पीएसए
- उमर के बाद महबूबा और अन्य राजनीतिक बंदियों की रिहाई की उम्मीद बढ़ी

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को डिटेंशन से रिहा होने के बाद श्रीनगर में पिता पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और मां मोली के साथ। एएनआइ

जानकारी जम्मू-कश्मीर प्रदेश प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी। प्रदेश प्रशासन ने उमर अब्दुल्ला की रिहाई का फिलहाल कोई कारण नहीं बताया है, लेकिन स्थानीय हलकों में चर्चा है कि यह कदम कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पैदा हालात व सर्वोच्च न्यायालय में जारी सुनवाई के मद्देनजर लिया गया है।

महबूबा और तारीगामी ने किया स्वागत : पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की रिहाई का स्वागत किया है। वहीं, अपनी मां को रिहा न करने पर सरकार को कोसा है। इल्तिजा ने अपनी मां महबूबा मुफ्ती के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि उमर की रिहाई के बारे में सुनकर अच्छा लगा। इल्तिजा ने सोमवार को उपराज्यपाल जीसी मुर्मू को पत्र लिखकर महबूबा समेत सभीराजनीतिक बंदियों की रिहाई का आग्रह किया था। मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद यूसुफ तारीगामी ने मंगलवार को नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की रिहाई का स्वागत किया है। उन्होंने 4जी इंटरनेट सेवा को जल्द बहाल करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रदेश प्रशासन को चाहिए कि वह सभी राजनीतिक बंदियों को जल्द से जल्द रिहा करे।

शिवपाल की सदस्यता रद करने की याचिका वापस लेगी समाजवादी पार्टी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

समाजवादी पार्टी मैनपुरी के विधायक शिवपाल यादव की विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की याचिका वापस ले रही है। याचिका वापस करने के लिए सपा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिख दिया है। सपा के इस कदम से शिवपाल यादव की पार्टी में वापसी की संभावना तेज हो गई है। हालांकि, यह संभावना उसी समय से बढ़ गई थी, जब होली के मौके पर पैतृक गांव सैफई में दोनों एक मंच पर आए थे। इस दौरान अखिलेश ने शिवपाल के पैर भी छुए थे।

दरअसल, 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ही चाचा-भतीजे शिवपाल यादव व अखिलेश यादव के बीच खटास हो गई थी। मामला इतना बढ़ा कि बाद में दोनों के बीच खाई बहुत गहरी हो गई। शिवपाल ने बाद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) नाम से अपनी अलग पार्टी बना

- याचिका वापस लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र
- सपा ने पिछले वर्ष सितंबर में सदस्यता रद करने का दिया था नोटिस

शिवपाल यादव। फाइल

ली थी। पिछले साल सितंबर में समाजवादी पार्टी ने शिवपाल की सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के यहां याचिका दाखिल की थी। यह याचिका तब से विचाराधीन है।

नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने इस याचिका को वापस करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि आपके सम्मुख जो याचिका विचाराधीन है, उसमें पूरे प्रपत्र नहीं लगे हैं। सदस्यता रद करने के लिए जो जरूरी प्रपत्र होते हैं, उसे हम आपके समक्ष प्रस्तुत भी नहीं कर सके हैं। इस कारण आपको निर्णय लेने में भी असुविधा हो रही है। इसलिए, इस याचिका को वापस कर दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि अभी याचिका वापस लेने के लिए पत्र लिखा गया है। बाद में इसे दोबारा लगाया जाएगा या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लेंगे।

वहीं, विधानसभा अध्यक्ष ह्दय नारायण दीक्षित ने बताया कि उनके ऑफिस में याचिका वापस करने का पत्र मिल गया है। फिलहाल विधानसभा सचिवालय बंद चल रहा है। इसका परीक्षण कराया जाएगा और जो भी विधि व संविधान सम्मत होगा वह निर्णय लिया जाएगा।

सुरक्षात्मक उपकरणों पर कांग्रेस का आरोप फर्जी : भाजपा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा ने कांग्रेस के इस आरोप को फर्जी बताया है कि भारत के पास पर्याप्त संख्या में व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (पीपीई) नहीं थे। भाजपा ने तंज कसते हुए कहा है कि क्या विपक्षी पार्टी को सरकारी खजाने को लूटने का मौका नहीं मिलने का मलाल है। इससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि सरकार दो मार्च तक डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के विवरण को परिभाषित नहीं करने की अपराधी है।

भाजपा आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया, 'डब्ल्यूएचओ ने 27 फरवरी को एडवाइजरी जारी कर कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के सीधे इलाज से जुड़े स्वास्थ्यकर्मियों के लिए पीपीई का इस्तेमाल जरूरी है। भारत ने फरवरी के पहले हफ्ते में 21,000 और मार्च के पहले हफ्ते में और 30,000 सुरक्षा उपकरण का आयात किया। इसके अलावा देश में हर हफ्ते 35,000 पीपीई तैयार करने की क्षमता है।' उन्होंने अपने इस दावे की पुष्टि के लिए ट्वीट के साथ

- कहा, फरवरी और मार्च में 50 हजार से ज्यादा पीपीई का आयात हुआ
- कांग्रेस का आरोप, दो मार्च तक पर्याप्त संख्या में नहीं थे डॉक्टरों के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण
- राहुल बोले, कोरोना वायरस के खतरे को और गंभीरता से लेना चाहिए था

दस्तावेज भी अटैच किए। इससे पहले, कांग्रेस ने दो मार्च तक पीपीई की कमी का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को कोरोना वायरस के खतरे को और गंभीरता से लेना चाहिए था।

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'मैं बहुत दुख महसूस कर रहा हूं, क्योंकि इससे पूरी तरह से बचा जा सकता था। हमारे पास तैयारी करने का वक्त था। हमें इस खतरे को बहुत अधिक गंभीरता से लेना चाहिए था और अच्छी तैयारी करनी चाहिए थे।' हालांकि, बाद में राहुल गांधी ने जिस ट्विटर हैंडल से कोट किया था, वह बाद में गायब हो गया।

पहल

दो वर्चुअल अदालतों में 'विडयो' एप पर होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग, अधिवक्ताओं को लिंक किसी के साथ साझा नहीं करने की दी गई है चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट दो अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनेगी मामले

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट बुधवार को दो वर्चुअल अदालतों में 'विडयो' एप पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कुछ जरूरी मामलों की सुनवाई करेगा। ऐसा कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 25 मार्च के लिए अपलोड वाद सूची के मुताबिक जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ व सूर्यकांत और जस्टिस एल. नागेश्वर राव व अनिरुद्ध बोस की दो पीठें मामलों की सुनवाई करेंगी। सूची में कोई अदालत कक्ष निर्धारित नहीं है। इसका मतलब है कि सूचीबद्ध किए गए 15 मामलों की सुनवाई जज अपने संबंधित चैंबरों या ऑफिसों से करेंगे। इन मामलों में पेश होने वाले अधिवक्ताओं को अपने निजी लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल फोन या सुप्रीम कोर्ट विधि सेवा समिति के मीडिएशन सेंटर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अदालत को संबोधित करने के लिए कहा गया है।

इस संबंध में 23 मार्च को सर्कुलर जारी

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

किया गया था। वाद सूची में अधिवक्ताओं (एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड) को वीडियो कांफ्रेंसिंग का लिंक किसी के साथ साझा नहीं करने की चेतावनी दी गई है। ऐसा करने पर अधिवक्ता के ईमेल पर साझा किया गया ओरिजिनल लिंक डिएक्टिवेट हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए सिर्फ एक ही लिंक एक्टिवेट रहेगा।

सरकार जरूरतमंद वकीलों को दे आर्थिक सहायता : बीसीआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) ने कोरोना संकट के कारण चल रही बंदी को देखते हुए सरकार से अनुरोध किया है कि जरूरतमंद वकीलों को तत्काल 20,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाए। बीसीआइ के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख कर आर्थिक संकट से जूझ रहे वकीलों को जीवन यापन के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की अपील की है।

पत्र में कहा गया है कि देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है। अदालतों में कामकाज पूरी तरह ठप है। हाल के दिनों में जब आमजनता और मुवक्किलों की अदालत में आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी, उस समय भी वकीलों ने अदालत जाकर मुकदमों की पैरवी की। कहा गया है कि कोराना संकट के चलते हुई बंदी से बहुत से वकील, विशेष कर नए युवा वकील आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उनके पास मकान किराये, इलाज और परिवार की अन्य जरूरतों के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में इन लोगों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए।

बीसीआइ ने कहा कि सरकार ऐसे लोगों को 20,000 रुपये की आर्थिक मदद दे। प्रधानमंत्री जरूरतमंद वकीलों को आर्थिक सहायता मुहैया कराएं और राज्य सरकारों को भी ऐसा करने का निर्देश दें। पत्र में कहा गया है कि जब तक कोरोना वायरस का प्रकोप समाप्त नहीं होता तबतक राज्य बार काउंसिल या जिला प्रशासन के माध्यम से हर जरूरतमंद वकील को कम से कम 20,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जाए।

कह के रहेंगे माधव जोशी